फा.सं.एफ.1/128(25)/2023-भ.-III
संघ लोक सेवा आयोग

भर्ती – III अनुभाग

पुनः परीक्षित अंतिम संवीक्षा / लघुसूचीबद्ध करने का विवरण	
पद का नाम	उत्तर-पूर्वी पुलिस अकादमी, गृह विभाग (पुलिस), गृह मंत्रालय में उप-सहायक निदेशक (न्यायालयिक विज्ञान) के स्थायी पद की 01 (अना.-01) रिक्ति।
विज्ञापन संख्या	18/2023
रिक्ति संख्या	23091805323

अनिवार्य योग्यताएं (अ.यो.)	**(क)शैक्षणिक** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से न्यायालयिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री। **(ख) अनुभव** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय में इस विषय के अध्यापन का एक वर्ष का अनुभव या संघ शासित क्षेत्र की न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला केंद्र में एक वर्ष का विश्लेषणात्मक अनुभव या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एक वर्ष का विश्लेषणात्मक अनुभव।

अपनाए गए मानदंड	• संवीक्षा उम्मीदवारों द्वारा ऑन-लाइन प्रस्तुत किए गए आवेदनों में भरी गई जानकारी और आवेदनों के साथ अपलोड किए गए समर्थित दस्तावेजों के आधार पर की गई है। • आवेदनों की संवीक्षा पूर्णतया संबंधित पद के भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। • संगत विषय में पीएच.डी. डिग्री के साथ अनुभव के लिए तीन वर्ष का क्रेडिट। • संवीक्षा हेतु, ऑन-लाइन भर्ती आवेदन (ओआरए) में किए गए दावों को ही शैक्षिक योग्यता/अनुभव के रूप में माना गया है। केवल उन्हीं उम्मीदवारों के समर्थित दस्तावेजों की जांच की गई है, जिन्होंने ऐसे दावों के संबंध में सूचना दी है जो अ.यो.-क और अ.यो.-ख के संबंध में उनकी पात्रता के लिए स्वीकार्य हैं और ओआरए के संगत मॉड्यूल में उनका संदर्भ दिए बिना संलग्न किए गए दस्तावेजों पर विचार नहीं किया गया है। • अनुभव प्रमाण-पत्र, भर्ती (समन्वय एवं नीति) के परिपत्र सं.एफ.8/84/2010 दिनांक 23.12.2010 के अनुसार विहित प्रपत्र में होने चाहिए। तथापि, आवेदकों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुभव प्रमाण-पत्र जमा नहीं किए जाने पर उनके अनुभव प्रमाण-पत्र पर मेरिट के आधार पर विचार किया गया है, यदि उसमें अपेक्षित सूचना उपलब्ध हो। • नियुक्ति पत्रों, कार्यालय आदेशों, त्याग पत्रों, वेतन प्रमाण-पत्रों, सेवा प्रमाण-पत्रों और उम्मीदवारों द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र या स्व-रोजगार प्रमाण-पत्रों को अनुभव के प्रमाण के रूप में नहीं माना गया है। ऐसे उम्मीदवारों को 'अपूर्ण' श्रेणी के तहत अस्वीकृत किया गया है। • जिन अनुभव प्रमाण-पत्रों पर कार्यों के स्वरूप का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, उन पर विचार नहीं किया गया है और अस्वीकृत कर दिया गया है, इसी प्रकार, जिन्होंने संगत अनुभव का दावा किया है लेकिन इसके समर्थन में संलग्न किया

	गया अनुभव प्रमाण-पत्र दावा की गई सम्पूर्ण अवधि का नहीं है या किए गए दावे का समर्थन नहीं करता है, उन्हें अस्वीकृत कर दिया गया है। संगत अनुभव की केवल उस समय-अवधि पर विचार किया गया है जिसके लिए अपेक्षित/संगत अनुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए गए हैं। • कुछ उम्मीदवारों को एक से अधिक श्रेणी के तहत अस्वीकृत किया जा सकता है। उन्हें सर्वाधिक उपयुक्त श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकृत किया गया है। **नोटः आयोग द्वारा मानदंडों का निर्धारण प्रत्येक मामले के आधार पर किया जाता है।**

संवीक्षा विवरण, दिनांक 16/07/2024 तक अपनी अस्वीकृति के विरुद्ध अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर दिनांक 05/07/2024 को अपलोड कर दिया गया था।

दिनांक 22/07/2024 तक 08 उम्मीदवारों से ई-मेल अभ्यावेदन प्राप्त हुए है। सभी आवेदनों की पुनः जांच की गई है। ई-मेल और अभ्यावेदनों की पुनः जांच ऑन-लाइन आवेदन, शैक्षणिक योग्यताएं और इसमें दावा किए गए अनुभव, ओआरए के साथ प्राप्त हुए समर्थित दस्तावेजों और आयोग द्वारा अपनाए गए मानदंडों और मापदंडों के संदर्भ में की गई है। तदनुसार, निम्नलिखित परिणामी टिप्पणियां इस प्रकार है

अनंतिमता के संबंध में प्राप्त हुए ई-मेल				
क्र.सं	अनुक्रमांक	ई-मेल की संख्या	टिप्पणियां	प्रस्ताव
1.	89, 108	02	प्रस्तुत किए गए दस्तावेज क्रम में है।	**अनंतिमता समाप्त की जा सकती है।**
'अस्वीकृति – अपूर्ण अनुभव प्रमाण-पत्र' के संबंध में ई-मेल				
2.	20, 77, 102, 110	04	अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत किए और ओआरए में किया गया दावा	**अतः लघुसूचीबद्ध किया जा सकता है।**
'अस्वीकृति – अनुभव प्रमाण-पत्र दावे से मेल नहीं खाता, कार्यों का स्वरूप नहीं' के संबंध में ई-मेल				
3.	79	01	अनुभव प्रमाण-पत्र और कार्यों के स्वरूप संबंधी संगत दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए लेकिन चाहते हैं कि पुनः विचार किया जाए	**अतः अस्वीकृत किया जा सकता है।**
'अस्वीकृति – विचारार्थ क्षेत्र में नहीं' के संबंध में मेल				
4.	85	01	नए दस्तावेज प्रस्तुत किए गए लेकिन 4 वर्ष या अधिक अनुभव का दावा नहीं करने के आधार पर उम्मीदवार विचारार्थ क्षेत्र में नहीं है।	**अतः अस्वीकृत किया जा सकता है।**
अनंतिम रूप से लघुसूचीबद्ध किए गए				
5.	46	01	मांगे गए दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए (नाम की भिन्नता के लिए शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया)	**अपूर्ण के रूप में अस्वीकृत किया जा सकता है।**

5. तदनुसार, संवीक्षा को निम्नानुसार संशोधित किया गया है।

<u>संवीक्षा</u>

<u>01 अनारक्षित रिक्ति</u>

<u>मानदंड:</u> अ.यो. (क) + अ.यो. (ख) को 04 वर्ष तक बढ़ाया गया

<u>साक्षात्कार हेतु बुलाने के लिए:</u>
<u>अनुक्रमांक:</u>
16 20 41 42 51 72 77 86 87 89 102 107

108 110

(14 उम्मीदवार)

<u>अस्वीकृत:</u>

<u>एलईक्यू – ख</u>
<u>अनुक्रमांक:</u>

59 63 91 99 111

(05 उम्मीदवार)

<u>अपूर्ण:</u>

<u>अनुक्रमांक</u>

कारण	अनुक्रमांक
नाम में भिन्नता के लिए मांगे गए दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए, शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए	46
अपूर्ण अनुभव प्रमाण-पत्र	05, 06, 13, 40, 64, 75, 90
अनुभव प्रमाण-पत्र में कार्यों का स्वरूप नहीं	55
अनुभव प्रमाण-पत्र दावे से मेल नहीं खाता, कार्यों का स्वरूप नहीं	79, 112
नियुक्ति/त्याग पत्र/तैनाती आदेश/सेवा प्रमाण-पत्र/कार्यालय आदेशों/वेतन-प्रमाण-पत्रों/उम्मीदवार द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित स्व-प्रमाण-पत्र/स्व-रोजगार प्रमाण-पत्रों आदि पर विचार नहीं किया गया।	

(11 उम्मीदवार)

शेष 82 आवेदनों को **एलईसी (बढ़ाए गए मानदंड में कमी)** के अंतर्गत अस्वीकृत किया गया है।

इस पर आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

इस पद हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की सूची उनके अनुक्रमांक सहित आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पथ: मुख्य पृष्ठ>>भर्ती>>भर्ती मामलों की स्थिति (विज्ञापन-वार) में अपलोड कर दी गई है।

<u>संकेतक:</u>

एलईक्यू-क – अनिवार्य योग्यता – क में कमी।

एलईक्यू-ख – अनिवार्य योग्यता – ख में कमी।

एलईसी – बढ़ाए गए मानदंड में कमी।

ईसी – अनुभव प्रमाण-पत्र।

एनओडी – कार्यों का स्वरूप।

परामर्शदाता/उप सचिव – भ.-III

किसी विसंगति की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।